

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक पालिसी-2022 के अन्तर्गत लेटर आफ कम्फर्ट प्राप्त स्टोरेज फेसिलिटीज (वेयरहाउसेज (गोदाम सहित), साइलोज तथा कोल्ड चैन फेसिलिटीज) ड्राई पोर्ट्स तथा ट्रकर्स पार्क को भू आच्छादन की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में ठोस परिवहन अवसंरचना के विकास, विद्यमान वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स ढांचे के उन्नयन, प्रभावी संस्थात्मक गवर्नेन्स की व्यवस्था, कार्य बल की कुशलता को बढ़ावा देने तथा स्मार्ट लाजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाजिस्टिक्स सुविधा की स्थापना हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 जारी की गयी है। नीति के अध्याय-9 के अन्तर्गत वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाईयों को प्रोत्साहन के रूप में विकास शुल्क में 75 प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के प्रस्तर 9 'इन्सेन्टिव स्कीम' के अन्तर्गत बिन्दु 9.1.2 के (A) 4 में स्टोरेज फेसिलिटीज, (वेयरहाउसेज (गोदाम सहित), साइलोज तथा कोल्ड चैन फेसिलिटीज की "स्टैण्डएलोन स्टोरेज फेसिलिटीज" को 60 प्रतिशत भू आच्छादन की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। बिन्दु 9.2.2 के (A) 4 ड्राइ पोर्ट्स (इनलेण्ड कन्टेनर डिपो (ICD), कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (CFS), एयर फ्रेट स्टेशन (AFS) सहित) के स्टैण्डएलोन प्रोजेक्ट्स को 60 प्रतिशत भू आच्छादन की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त बिन्दु 9.3.2 के (A) 4 एवं 5 में लाजिस्टिक पार्क के लिए निम्न प्राविधान किये गए हैं:-

SI	Head	Incentive
4.	Ground Coverage	A Logistics Park project will be allowed overall Ground Coverage of 60% subject to setback and fire safety and other FSI regulations.

5.	Other facilities	<p>1) The Logistics Park will be allowed to use maximum 30% of the total land area for providing other non- logistics services,i.e. commercial and common facilities(as defined in Para 9.3.1(4)iii,iv).</p> <p>2) The Logistics Park will be allowed FSI of 1 for 'Logistics facilities'(as defined in Para 9.3.1(4)(i),and FSI upto1.5 for other non-logistics facilities i.e commercial and common facilities (as defined in Para 9.3.1(4)iii,iv).</p> <p>3) Floating FSI shall not be permissible from the area of 'Logistics facilities' to the area of 'non-logistics facilities' (as per Para 9.3.1(4)iii,iv) or vice versa, but floating of FSI will be permitted within the respective areas of 'logistics facilities' and 'non-logistics facilities'.</p> <p>4) Floating FSI means to use the unused FSI means to use in a project to another building. Admissible FSI either in logistics or non-logistics may be used only in identical section. Remaining FSI of one section can not be used in another sector.</p>
----	-------------------------	--

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स पालिसी-2022 से अच्छादित तथा नोडल संस्था यूपीसीडा से लेटर आफ कम्फर्ट प्राप्त स्टोरेज फेसिलिटीज, लाजिस्टिक पार्क तथा ट्रकर्स पार्क के मानचित्रों की अनुज्ञा देते समय नीति के उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भषदीप
6/4/23
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-691(1)/2023/8-3099/91/2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
- (3) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (4) आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- (5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, चतुर्थ तल, ए-ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- (6) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- (8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव